

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/171
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00165
CICOM/R/2017/00416

दिनांक: 15.05.2017

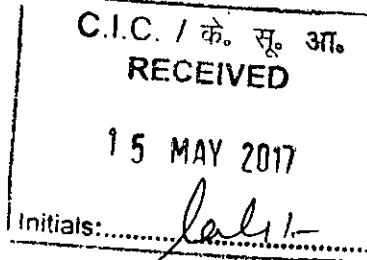
अपीलकर्ता : श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय,
ग्राम - मंझीयावां, पो0 - लहथुआ,
थाना - मोहनपुर, जिला - गया,
बिहार - 824201.

निर्णय की तारीख: 15.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.03.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.04.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री विजय भल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.04.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	130007/04.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	207/05.05.2017

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/MP/A/2016/000014 दिनांक 29.04.2016 से संबंधित सूचना मांगी थी, अपीलकर्ता ने प्रथम अपील के माध्यम से सूचित किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 09.03.2017 का उक्त आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 23.03.2017 को डायराइज हुआ तथा आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 11.04.2016 को प्राप्त हो सका जिसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एस.एच.) कार्यालय को अग्रसारित किया गया तथा श्री विजय भल्ला द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 18.04.2017 को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जो कि बिल्कुल तथ्यात्मक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को प्रथम अपील आवेदन दाखिल करने से पूर्व श्री विजय भल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति पुनः संलग्न है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

संलग्नक : यथोपरि।



राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।